हरियाणा राज्य

बनाम

सुरेन्दर व अन्य आदि

जून 1, 2007

(डॉ अरिजीत पसायत एवं डी.के जैन, न्यायाधिपतिगण)

दण्ड संहिता 1860

धारा 302, 394 सपठित 397- लूट-आरोपी ने एक आहत को चाकू मारकर मृत्यु कारित कर दी एवं दूसरे आहत पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया- आरोपी की पहचान पीड़ित द्वारा न्यायालय में की गई थी- विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया-उच्च न्यायालय द्वारा शिनाख्त परेड कार्यवाही नहीं होने के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया- अभिनिर्धारित -अभियुक्त के द्वारा शिनाख्त परेड कार्यवाही में भाग लेने से इनकार किया, इसलिए वे अदालत में की गई पहचान के विरूद्ध शिकायत नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय का दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किया- शिनाख्त परेड कार्यवाही।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील- साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया गया- अभिनिर्धारित -अपीलीय न्यायालय के लिए ऐसी कोई परिसीमा नहीं है कि

वह ऐसी साक्ष्य की ही पुनः समीक्षा करे जिस साक्ष्य पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है- यदि अपीलाधीन निर्णय स्पष्टतः अयुक्तियुक्त है और प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सामग्री को अन्यायपूर्वक अनदेखा किया गया है, तो यह हस्तक्षेप का आवश्यक आधार है- भारत का संविधान का अनुच्छेद 136.

हस्तगत तीन अपीलें चार प्रत्यर्थीगण से संबन्धित हैं, जिनको अन्तर्गत धारा 302 और 394 सपठित धारा 397 भादस. के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए अभियोजित किया गया है। अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्तगण ने चलती हुई ट्रेन में लूट कारित की एवं एक व्यक्ति की चाकू मारकर मृत्यु कारित कर दी एवं उसके छोटे भाई को गन-शॉट से फायर कर घायल कर दिया। चश्मदीद साक्षी पीड.13 व 14 मृतक के छोटे भाई व बहन हैं जो कि मृतक के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिनके द्वारा अभियुक्त की न्यायालय में पहचान की गई। विचारण न्यायालय द्वारा सभी चारों अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर तद्नुसार प्रत्येक के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में अपील का मुख्य आधार यह था कि मामले में शिनाख्त परेड कार्यवाही नहीं करवाई गई, अभियुक्तगण की पहचान पहली बार न्यायालय में की गई, जिसका अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से दिये गये तर्क कि अभियुक्त ने शिनाख्त परेड

कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था तथा अभियुक्त अपने द्वारा की गई गलती का लाभ नहीं ले सकता है, उक्त तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया एवं अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध सरकार की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय में अपील की अनुमति दी गई

अभिनिर्धारितः 1.1 अपीलीय न्यायालय के लिए ऐसी कोई परिसीमा नहीं है कि वह ऐसी साक्ष्य की ही पुनः समीक्षा करे जिस साक्ष्य पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। न्यायालय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रणाली अथवा न्याय की विफलता को रोका जाये। किसी मामले में जहां स्वीकृत साक्ष्य को नजरअंदाज करके अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की पुनः विवेचना यह सुनिश्चित करने के लिए करे कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तविक रूप से अपराध कारित किया है अथवा नहीं। सामान्य सिद्धान्त यह है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में केवल तभी हस्तक्षेप किया जाता है जब ऐसा करने के आवश्यक व सारभूत कारण मौजूद हैं। यदि अपीलाधीन निर्णय स्पष्टतः अयुक्तियुक्त है और प्रासंगिक व विश्वसनीय साक्ष्य को अन्यायपूर्ण तरीके से प्रक्रिया से निकाल दिया गया है, तो यह ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अथवा आवश्यक आधार है। {पैरा

7} {889-एफ-एचः 890-ए}

भगवान सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. {2002} 2 सुप्रीम 567. शिवाजी साहब बोवडे व अन्य महाराष्ट्र राज्य, एआईआर {1973} एससी 2622. रमेश बाबुलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य {1996} 4 सुप्रीम 167. जसवन्तसिंह बनाम हरियाणा राज्य {2000} 3 सुप्रीम 320. राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य, {2003} 7 सुप्रीम 52. पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह {2003} 5 सुप्रीम 508. पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य {2003} 7 सुप्रीम 17 एवं वीएन रथीश बनाम केरल राज्य {2006} 10 एससीसी 617, पर विश्वास किया गया।

1.2 उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन मात्र से यह शीशे की तरह स्पष्ट है कि आदेश पोषणीय नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा चश्मदीद साक्षीगण पीड. 13 व 14 की साक्ष्य का विवेचन ही नहीं किया गया, जबकि उक्त दोनों साक्षी घटना में घायल हुये हैं। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की ओर से दिये गये तर्क कि, अभियुक्तगण ने शिनाख्त परेड कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे अदालत में की गई पहचान के विरूद्ध शिकायत नहीं कर सकते। उक्त तर्क को नकारने का कोई आधार अथवा कारण निर्णय में अंकित नहीं किया है। सरकार की ओर से दिये गये तर्क कि अभियुक्त के द्वारा शिनाख्त परेड की आपत्ति नहीं की जा सकती है, इस तर्क को भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। उच्च

न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय स्पष्टतः पुष्टि के योग्य नहीं है, अतः अपास्त किया गया।{पैरा 6 व 8} {888-एचः 889-ए-बीः 890-डी}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 618-620 सन् 2001-

पंजाव व हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांकित 06.09.2000 दाण्डिक अपील संख्या 36 डीबी 1996, 186 डीबी 1996 एवं 245 डीबी 1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

रूपांश पुरोहित (टीवी जॉर्ज के लिए)- अपीलार्थी की ओर से।

धीरज (पीएन पुरी के लिए) और शिप्रा घोष प्रत्यर्थी की ओर से।

हस्तगत निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति के द्वारा पारित किया गया।

1. इस अपील के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 302 एवं 394 सपठित धारा 397 भादस. में दोषसिद्धि कर तदानुसार आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः-

दिनांक 01.02.1994 को सुशीला देवी (पीड.14) अपने भाई पुरूषोत्तम

(जिसे आगे मृतक से संबोधित किया जायेगा) एवं दूसरे भाई यशबीर (पीड.13) के साथ मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय रोहतक में यशबीर को इलाज के लिए ले जाने के लिए सकूर बस्ती दिल्ली में शाम 06:30 बजे ट्रेन से रवाना हुई। जब ट्रेन देहकोरा व सांपला रेल्वे स्टेशनों के बीच चल रही थी तो चार अज्ञात व अनजान व्यक्ति, जिनका विवरण कथित रिपोर्ट प्रदर्श डी1 में अंकित है, उस डिब्बे में प्रवेश किया जिसमें मृतक, यशबीर व सुशीला देवी के साथ बैठा हुआ था और उनमें से एक हमलावर मृतक के पास खड़ा हो गया और चिल्लाया कि उनके पास जो कुछ है उसे बाहर निकाल दो। मृतक ने उसे थोड़ा इन्तजार करने का कहा, इसी दौरान वह व्यक्ति दोबारा चिल्लाया और मृतक को रूपये उसे सौंपने को कहा, मृतक जैसे ही उस व्यक्ति को रूपये दे रहा था, उसी समय उस व्यक्ति ने एक हाथ से मृतक के हाथ से रूपये छीन लिये और दूसरे हाथ से उसके पेट के निचले हिस्से में चाकू घोंप दिया। चोट लगने से पुरूषोत्तम नीचे गिर गया। यशबीर पीड.13 जो पुरूषोत्तम की बगल में बैठा हुआ था, वह खड़े होकर उस व्यक्ति की तरफ गया और उसके जिस हाथ में चाकू था, उस हाथ को पकड़ने में सफल हो गया, तभी दूसरे अभियुक्त द्वारा यशबीर पर एक गोली चलाई गई, जिसके कुछ छर्रे एक अन्य यात्री अशोक को भी लगे। सांपला रेल्वे स्टेशन के पास जब रेलगाड़ी धीमी हो गई तो दोनों अभियुक्तगण जिनके द्वारा चोटें कारित की गई थीं एवं अन्य दो सह-अभियुक्तगण रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरकर भाग गये। दोनों घायल व्यक्ति पुरूषोत्तम व

यशबीर को गवाह पीड. 03 सज्जनसिंह की सहायता से सिविल हैल्थ सेन्टर सांपला और इसके बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रोहतक ले जाया गया। हालांकि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, रोहतक ले जाते समय रास्ते में पुरूषोत्तम ने दम तोड़ दिया।

उदयराज (पीड.2) सहायक स्टेशन मास्टर को दिल्ली नियंत्रण कक्ष से जरिये टेलीफोन गोलीबारी की घटना की सूचना मिली, जिस सूचना को उनके द्वारा जरिये मैसेज (प्रदर्श पीए) थानाधिकारी सरकारी रेल्वे पुलिस थाना, रोहतक को भेजा गया। जब रेलगाड़ी रोहतक रेल्वे स्टेशन पहुंची तो बोगी की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। उप-निरीक्षक मनोहल लाल (पीड.11) ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, रोहतक में दिनांक 01.02.1994 को सुशीला देवी का बयान (पीड.पीबी/1) दर्ज किया और प्रदर्श पीबी/2 में इन्द्राज करते हुए मामला दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन भेजा, जिसके आधार पर औपचारिक एफआइआर प्रदर्श पीबी.2 दर्ज की गई। तदुपरान्त उप-निरीक्षक मनोहर लाल (पीड.11) रेल्वे स्टेशन, रोहतक गये और रेलगाड़ी की बोगी का निरीक्षण किया। उन्होनें बोगी से खून, छर्रों और खाली कारतूस को जरिये प्रदर्श पीआर एवं पीआर/1 कब्जे में लिया और इसके अलावा उन्होनें जांच रिपोर्ट (प्रदर्श-पीयू) भी तैयार की तथा मृतक और यशबीर (पीड.13) के कपड़ों को जरिये प्रदर्श पीएन एवं पीएम क्रमशः अपने कब्जे में लिया। उनके द्वारा गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया

और चूंकि अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा चलाने का दावा किया था, अतः उन पर मुकदमा चलाया गया। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों (पीड. 13 व 14) द्वारा पहचान किये जाने के आधार पर विचारणीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की जाकर दण्डादेश पारित किया गया, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है।

3. विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धी पर हस्तगत तीन अपीलो के माध्यम से प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। अपील में प्राथमिक आधार यह लिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा निभाई गई भूमिका के संबन्ध में साक्ष्य की विविधता थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अभियुक्तगण की कोई पहचान परेड कार्यवाही नहीं की गई थी, इसलिए न्यायालय के समक्ष पहली बार पहचान किये जाने का कोई प्रभाव अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं है।

4. जवाब में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि अभियुक्तगण ने स्वयं पहचान परेड कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से उठाये गये बिन्दु को दरकिनार करते हुए, जैसा कि उपर उल्लिखित है, दोषमुक्ति का आदेश पारित किया।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता। जबकि उन्हें

पहचान परेड की कार्यवाही के लिए पूछा गया था, तो उनके द्वारा शिनाख्त कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया गया था। ऐसा किये जाने पर, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई कारण अभिलिखित नहीं किया गया कि यह आचरण अभियुक्त के लिए किस प्रकार मददगार था। उच्च न्यायालय के द्वारा गलत रूप से निष्कर्ष दिया गया है।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह शीशे की तरह साफ है कि उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्टतः पुष्ट किये जाने योग्य नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यशबीर (पीड.13) एवं सुशीला (पीड.14) की साक्ष्य का विवेचन उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, जबकि दोनों साक्षी घटना में घायल हुये थे। उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा भी कोई कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया है कि उन्होनें सरकार की ओर से दिये गये इस तर्क को किस आधार पर पर नकार दिया कि अभियुक्तगण ने शिनाख्त कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए न्यायालय में की गई शिनाख्त पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते। सरकार की ओर से दिये गये तर्क कि क्यों अभियुक्त के द्वारा शिनाख्त परेड की आपत्ति नहीं की जा सकती है, इस तर्क को भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय केवल एक मात्र आधार पर पारित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः-

‘‘विद्वान उप-महाधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जब

एक बार हमलावरों द्वारा शिनाख्त परेड कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया तो यह उपधारणा की जायेगी कि वे ही घटना में शामिल थे और कोई नहीं था। किसी अपराध में पुलिस द्वारा नामित कुछ व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में न्यायालय स्वयं को संतुष्ट और आश्वस्त महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली गई और अन्य व्यक्ति को मृत्यु की ओर धकेल दिया गया जब तक कि वे बिना किसी संदेह की छाया मात्र के अपराध के कमिशन से जुड़े हों। जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है, जबकि अपीलार्थी की शिनाख्त परेड की कार्यवाही घटना के लगभग दो वर्ष पश्चात् पहली बार न्यायालय के समक्ष की गई एवं साक्षियों के कथन अभियुक्त से गई हथियारों की बरामदगी से विरोधाभासी हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बहाल रखना सुरक्षित/उचित नहीं होगा एवं अपीलार्थीगण के साथ अन्याय करना होगा, लिहाजा अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ दिये जाने के पर्याप्त आधार हैं, अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, अपीलार्थीगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।''

7. अपीलीय न्यायालय के लिए ऐसी कोई परिसीमा नहीं है कि वह ऐसी ही साक्ष्य की पुनः समीक्षा करे जिस साक्ष्य पर दोषमुक्ति का आदेश

आधारित है। सामान्यतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा दोषमुक्ति के आदेश से अैार भी मजबूत हो जाती है। न्याय प्रशासन का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि आपराधिक मामले में जब साक्ष्य के आधार पर दो मत होना संभव हैं, जिनमें एक अभियुक्त के दोषी होने के पक्ष में हो और दूसरा उसके निर्दोष होने के पक्ष में हो, तो ऐसा मत जो अभियुक्त के पक्ष हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रणाली अथवा न्याय की विफलता को रोका जाये। न्याय की असफलता/अन्याय जो कि दोषमुक्ति के आदेश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा अन्याय उस अन्याय से कम नहीं है जो कि एक निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि से उत्पन्न होता है। किसी मामले में जहां स्वीकृत साक्ष्य को नजरअंदाज करके अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की पुनः विवेचना यह सुनिश्चित करने के लिए करे कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तविक रूप से अपराध कारित किया है अथवा नहीं। (देखें- भगवान सिंह व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य- 2002 2 सुप्रीम 567)। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है कि दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब ऐसा करने के आवश्यक व सारभूत कारण मौजूद हैं। यदि अपीलाधीन निर्णय स्पष्टतः अयुक्तियुक्त है और प्रासंगिक व विश्वसनीय साक्ष्य को अन्यायपूर्ण तरीके से

प्रक्रिया से निकाल दिया गया है, तो यह ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अथवा अनिवार्य आधार है। उक्त न्यायिक मत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निम्न निर्णयों में प्रतिपादित किया गया हैः- शिवाजी साहबराव बोबडे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 2622, रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य 1996 4 सुप्रीम 167, जसवन्त सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2000 3 सुप्रीम 320, राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य 2003 7 सुप्रीम 152, पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह 2003 5 सुप्रीम 508, पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य 2003 7 सुप्रीम 167 एवं वी.एन. राठीश बनाम केरला राज्य 2006 10 एससीसी 617.

8. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है, जो अपास्त किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अभियुक्त को शेष सजा भुगतने के लिए समर्पण के निर्देश दिये जाते है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संतोष कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।